प्रेस विज्ञप्ति

04.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक पदार्थ मेथाक्वालोन टैबलेटों के अवैध निर्माण और बिक्री से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28/03/2024 को क्रमशः जोधपुर और उदयपुर से परमेश्वर व्यास और रवि दुदानी को गिरफ्तार किया है। विशेष न्यायाधीश, जयपुर मेट्रो - I (राजस्थान) ने उन्हें 07 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। दिनांक 28/03/2024 को परमेश्वर व्यास एवं रवि दुदानी के आवासीय परिसर में तलाशी कार्यवाही भी संचालित की गई।

ईडी ने स्वर्गीय सुभाष दुदानी और परमेश्वर व्यास और रवि दुदानी सहित उनके सहयोगियों के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), जयपुर द्वारा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि रवि दुदानी, परमेश्वर व्यास और स्वर्गीय सुभाष दुदानी मेथाक्वालोन के अवैध निर्माण और तस्करी में संलिप्त प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने वर्ष 2001 में 4 से 5 मीट्रिक टन, वर्ष 2003-04 में 5 मीट्रिक टन और वर्ष 2009 में 8.9505 मीट्रिक टन मेथाक्वालोन का उत्पादन किया और उसकी तस्करी की। मेथाक्वालोन टैबलेट का आखिरी बैच वर्ष 2014-15 में उत्पादित किया गया था, जिसमें से उन्होंने 14.886 मीट्रिक टन की भारत के बाहर तस्करी की और शेष 23.32 मीट्रिक टन को डीआरआई द्वारा संचालित किए गए तलाशी अभियान के दौरान मरुधर ड्रिंक्स, उदयपुर, रवि दुदानी, परमेश्वर व्यास एवं अन्य के परिसर से जब्त किया गया था। वे प्रतिबंधित दवाओं के उत्पादन, परिवहन और तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल थे और उन्होंने इस अपराध से 118.76 करोड़ रुपये (लगभग) की हद तक अपराध की आय अर्जित किए।

मेथाक्वालोन टैबलेट के उत्पादन, परिवहन और अवैध व्यापार के लिए भारत के साथ-साथ विदेशों में भी कई संस्थाएं/इकाइयां स्थापित की गईं (जिसमें परमेश्वर व्यास और रवि दुदानी निदेशक थे)। वर्ष 1995 से 2016 तक, मेथाक्वालोन टैबलेटों की विभिन्न खेपों का उत्पादन किया गया और विभिन्न खेपों में प्रतिबंधित दवाओं को छिपाकर अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, तंजानिया, मोज़ाम्बिक और मलावी के साथ-साथ दुबई भेजा गया। अपराध भारत में हुआ और अपराध से अर्जित आय विदेश में प्राप्त हुई और जिसे बाद में भारत में अंतरित कर दिया गया। इन दवाओं की बिक्री से प्राप्त आय या तो स्वाज़ीलैंड या दुबई में स्वर्गीय रोनी जॉनी स्मिथ से नकद में प्राप्त की गई थी। विदेशों से प्राप्त नकदी को बाद में हवाला चैनलों के माध्यम से भारत में अंतरित कर दिया गया। इस नकदी का उपयोग ज्यादातर भारत में संपत्तियों की खरीद में बेहिसाब हिस्से (नकदी) के भुगतान के रूप में किया गया था। हवाला चैनलों के माध्यम से भारत में भेजे गए नकदी के अलावा, दवाओं की बिक्री से नकद संग्रह को भी दुबई स्थित संस्थाओं से उत्पन्न राजस्व के हिस्से के रूप में दिखाया/दावा किया गया था, जिसे बाद में स्वर्गीय सुभाष दुदानी, रवि दुदानी, परमेश्वर व्यास एवं अन्य सहयोगी द्वारा भारत में संचालित बैंक खातों में अंतरित कर दिया गया था।

इससे पहले, ईडी ने 02 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए थे, जिसमें स्वर्गीय सुभाष दुदानी, रवि दुदानी और अन्य की उदयपुर, मुंबई और राजसमंद में आवासीय फ्लैट, कार्यालय, भूखंड और भवन, कारखानों सहित 21 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था, जिनकी कुल कीमत 13.02 करोड़ रुपये थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।